न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 09/2025

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
भूपेन्द्र चौधरी पुत्र धमेन्द्र चौधरी उर्फ धर्माराम चौधरी, निवासी– सांभरा, वीर तेजाजी नगर, तहसील पचपदरा जिला बालोतरा।		राजेन्द्र चौधरी पुत्र धमेन्द्रसिंह निवासी– खींपसर तहसील बटाडू, जिला बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.12.2024 जो तहसीलदार, पाटोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना संख्या 01/2024 अनवान भूपेन्द्र चौधरी बनाम राजेन्द्र चौधरी में पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता, अपीलाण्ट की ओर से।
2. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः– 28 मई, 2025

1. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.11.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सांभरा तहसील पचपदरा में स्थित कृषि भूमि ख0सं0 113 रकबा 2.9947 हैक्टर स्थित है जिसके खातेदार अपीलार्थी के दादा कानाराम पुत्र गंगाराम चौधरी है। जिनके द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में उक्त भूमि बाबत बक्शीशनामा दिनांक 23.8.2024 को निष्पादित किया गया व उसका पंजीयन करवाया गया है। उक्त बख्शीशनामें के अनुसार अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई। उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट की ओर से भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.11.2024 पेश करते हुए उपरोक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया।

2. तहसीलदार, पाटोदी ने भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तियों को उपयोग में लेते हुए धारा 135(2) राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया तथा दोनों पक्षों की ओर से शहादत सबूत पेश करने का अवसर दिया गया व पटवारी से रिपोर्ट तलब की गई। पक्षकारान के द्वारा अपने अपने पक्ष में दस्तावेज व शपथ पत्र दिनांक 30.12.2024 को पेश किये गये जिन पर आगे कार्यवाही की जानी थी, परन्तु तहसीलदार ने उस समय आगे पेशी मुकर्रर नहीं की एवं अक्समात् ही दिनांक 30.1.2024 को पत्रावली को निर्णित करते हुए अपने आदेश दिनांक 30.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 16.01.2025 को पेश की है।

3. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मनमाने ढंग से प्रकरण को निर्णित करते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के जवाब व निराधार कथन को महत्व देते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जबकि अपीलार्थी द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेजी सबूत व राजस्व रेकर्ड पेश किये गये थे जिन्हें पूर्ण रूप से नजरअंदाज कर दिया गया है। उक्त विवादग्रस्त भूमि का आवंटन सन् 1973 में कानाराम को किया गया था और गैर खातेदारी के बाद खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया। उन्हें अपनी भूमि बाबत बक्शीशनामा निष्पादित करने का पूर्ण अधिकार था। नामान्तरकरण की कार्यवाही में केवल आधार दस्तावेज को ही देखा जा सकता था, ऐसे में वर्तमान मामले में भूमि के खातेदार कानाराम द्वारा निष्पादित बक्शीशनामा की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध थी। इसके विरूद्ध पेश कोई साक्ष्य मानने योग्य ही नहीं था। इस कारण से अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

4. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि कानाराम पहले साल्ट डिपार्टमेन्ट में नौकरी करते थे परन्तु वह विभाग राज्य सरकार के द्वारा समाप्त कर दिये जाने से उन्हें मण्डली गांव हॉस्पीटल में वार्डबॉय की नौकरी दी गई तथा वे वर्ष 2004 में सेवानिवृत हुए और अभी पेन्शन प्राप्त कर रहे है। स्वयं कानाराम तहसीलदार के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित हुए थे तथा अपना लिखित कथन मय तमाम दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेन्शन सम्बन्धी अभिलेख एवं भूमि आवंटन सम्बन्धी अभिलेख इत्यादि पत्रावली पर पेश किये गये थे जिन्हें नहीं मानने का कोई कारण नहीं था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से अपीलार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया। श्री हरजीराम पुत्र गंगाराम वर्ष 2009 में फौत हुए थे, उनकी जो भूमि ग्राम सांभरा एवं सवाउ पदमसिंह में थी, वह जरिये उत्तराधिकार नामा0 के उनके पुत्रों के नाम सन् 2011 में दर्ज की गई थी तथा इसी रेकर्ड के अनुसार हरजीराम के एक पुत्र धनाराम ने भंवराराम पुत्र कानाराम के पक्ष में बेचाननामा निष्पादित किया। इसके अतिरिक्त भूरीदेवी जो गंगाराम की पुत्री है एवं कानाराम की बहन है, ने कानाराम के पक्ष में सन् 2011 में भूमि का हस्तान्तरण जरिये बेचाननामा के किया एवं उसी समय हेमाराम पुत्र गंगाराम एवं मृतक हरजी के दो बेटो व उनकी पत्नी अणसी के नाम से भी हस्तान्तरण किया गया। उल्लेखनीय है कि उसी भूरीदेवी एवं भंवराराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झूठे शपथ पत्र दिये कि कानाराम का वर्ष 2009 में निधन हो गया है। इतना ही नहीं स्वयं कानाराम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे एवं लिखित कथन पेश किया था। इन परिस्थितियों में तहसीलदार के समक्ष यह मानने का कोई आधार नहीं था कि कानाराम फौत हो चुके है। इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बिल्कुल ही मनमाना है।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

5. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि भंवराराम जिसने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट के पक्ष में शपथ पत्र दिया था कि स्वयं उसने हरजीराम के पुत्र धनाराम से जमीन क्रय की थी जो जमीन हरजीराम के सन् 2009 में फौत होने पर धनाराम के नाम दर्ज हुई। इसी प्रकार एक शपथ पत्र धनाराम द्वारा भी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में पेश किया गया कि जो जमीन धनाराम के नाम दर्ज हुई, वह उसके पिता हरजीराम के वर्ष 2009 में फौत होने पर धनाराम व उसके भाईयों के नाम दर्ज की गई है। एक अन्य शपथ पत्र हरकूदेवी पत्नी हीराराम के द्वारा पेश किया गया कि हरकूदेवी के पति हीराराम ने सन् 2018 में कानाराम के विरूद्ध मुकदमा किया कि कानाराम ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय के सामने धर्माराम जो कानाराम के पुत्र है, स्वयं उपस्थित हुए थे। इसके बावजूद भी तहसीलदार ने यह मान लिया कि कानाराम की जगह धनाराम ने बक्शीशनामा निष्पादित किया है एवं कानाराम फौत हो चुके है। प्रकरण में पदमाराम पुत्र हरजीराम ने तहसीलदार के समक्ष लिखित में बयान पेश किये थे कि उनके पिता दिनांक 8.8.2009 को फौत हो गये तथा उनकी विरासत का नामा0 उसके वारिसों के नाम स्वीकार किया गया है।

6. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने वोटरलिस्ट में भ्रमित करने वाले इन्द्राजों व कांट–छांटशुदा मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियां अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पेश की गई जिन पर कतई विश्वास ही नहीं जा सकता था। हरजीराम ने वर्ष 2009 में आत्महत्या की थी एवं कुछ व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 306 आईपीसी के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया था। पुलिस की पत्रावली में मृतक हरजीराम का मृत शरीर परिवारजनों को सुपुर्द करने का पंचनामा बनाया गया था एवं स्वयं कानाराम ने अपने भाई हरजीराम का मृत शरीर अन्य परिजनों के साथ प्राप्त किया था। इतना ही नहीं इस मामले में तहसीलदार ने जिस आधार पर फैसला किया है, वैसे बिन्दूओं पर कोई निर्णय देने का अधिकार ही नहीं था। पंजीकृत बख्शीशनामा जो कि पत्रावली पर विद्यमान था, उससे बाहर जाकर कोई साक्ष्य पढी ही नहीं जा सकती थी। ऐसा लगता है कि तहसीलदार द्वारा जल्दबाजी करते हुए प्रकरण को किन्ही अज्ञात कारणवश निर्णित कर अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है एवं उन्हें न्याय से वंचित कर दिया गया।

7. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि जब एक व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित है तो तहसीलदार को यह कहने का कोई अधिकार नहीं था कि कानाराम का स्वर्गवास हो चुका है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों/ साक्ष्यों/दस्तावेजों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे तथा तहसीलदार, पाटोदी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2024 को निरस्त किया जावे एवं माफिक प्रार्थना पत्र अपीलार्थी दिनांक 23.8.2024 के पंजीकृत बख्शीशनामा के अनुसार अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने का आदेश प्रदान करें। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फॉर्म नं. 3 के साथ दस्तावेजों की फोटो प्रतियां तथा न्यायिक दृष्टान्त 2012(1)

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आरआरटी पेज 558, 2007(1) आरआरटी पेज 723, 2012(2) आरआरटी पेज 1173 इत्यादि पेश किये गये जिनका बगौर अवलोकन किया गया।

8. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट की ओर से अपील का जवाब दिनांक 6.5.2025 को न्यायालय हाजा के समक्ष लिखित में पेश किया हुआ है। रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त जवाब के अनुसार यह कथन किया कि तहसीलदार, पाटोदी के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2024 अन्तर्गत धारा 135(2) राज0 भू राजस्व अधिनियम पर पारित आदेश दिनांक 30.12.2024 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है। उक्त अपील के पद संख्या 01 में वर्णित कथन सही होने से स्वीकार है लेकिन जिस दस्तावेज का हवाला दिया गया है, उस दस्तावेज को निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति नहीं है। उक्त पद में खातेदार होना दर्शाया है, इस कारण जो दस्तावेज पंजीबद्ध किया गया, वह दस्तावेज मूल खातेदार कानाराम के द्वारा निष्पादित नहीं किया गया क्योंकि कानाराम का देहान्त दिनांक 8.8.2009 को हो चुका है। इसलिये बख्शीशनामा निष्पादित करने वाला व्यक्ति हरजीराम है, जो कभी ख0सं0 113 का खातेदार नहीं रहा है। इस कारण तथाकथित व्यक्ति द्वारा निष्पादित दस्तावेज का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामदगी हेतु धारा 135(2) के तहत किया गया आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही तरीके से खारिज किया गया है।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपील के पद संख्या 2 में लिखित कथन कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त नामा0 स्वीकार न किया जाये तथा पूर्ण सुनवाई करके तहसीलदार पाटोदी द्वारा धारा 135 (2) के प्रार्थना पत्र में वर्णित बख्शीशनामें को विधि वर्जित मानते हुए यह आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसे अपीलान्ट को हानि हुई हो। पूर्ण सुनवाई के बाद अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2024 को पारित किया गया है जिसे यथावत बहाल रखा जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जुबानी एवं निराधार कथनों के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा जिस दस्तावेज को पेश किया गया है, वह दस्तावेज ही छल–कपट व तथाकथित बनावटी व्यक्ति द्वारा निष्पादित होने से जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, वह विधि सम्मत है। प्रार्थना पत्र में भूमि के आवंटन व गैर खातेदारी एवं खातेदारी के नामा0 के सम्बन्ध में जो तथ्य लिखे गये है वह सही है लेकिन जिस व्यक्ति द्वारा अपने आपको उक्त भूमि का खातेदार बताया जा रहा है, वो सही नहीं है। बख्शीशनामा निष्पादनकर्ता अपने को कानाराम बताकर दस्तावेज को निष्पादित करवा रहा है जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र और मृत्यु पंजीयन पुस्तिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतक व्यक्ति कानाराम था लेकिन भूमि हड़पने की नियत से कानाराम के आगे उर्फ लगाकर हरजीराम कर दिया गया जबकि हरजीराम आज भी जीवित है। साथ ही यह स्पष्ट करना भी अनिवार्य है कि कानाराम व हरजीराम दोनों सगे भाई है और गंगाराम के पुत्र है। ऐसी स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र इस आशय का जारी करना कैसे सम्भव हो सकता है कि कानाराम उर्फ हरजीराम फौत हो गया। ऐसी स्थिति

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

में बख्शीसनामे के विरूद्ध ऐसे अनेक साक्ष्य है जिनके आधार पर उक्त बख्शीशनामा खारिज किया गया है।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हलका सांभरा के द्वारा भी तहसीलदार, पाटोदी को प्रेषित किये गये अपने प्रतिवेदन दिनांक 30.12.2024 में यह अवगत कराया गया है कि श्री कानाराम उर्फ हरजीराम पुत्र गंगाराम की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार मृतक व्यक्ति की जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति मृतक बन जाता है तो उसका विधि में कोई स्थान नहीं है। इसलिये कानाराम फौत होने के बाद हरजीराम स्वयं को कानाराम बताकर जो–जो कार्यवाहियां कर रहा है वो तमाम कार्यवाही शून्य व अवैध है। मृतक हरजीराम की पत्नी का कई स्थानों में उल्लेख अनसी के नाम से किया गया है जबकि वोटरलिस्ट सन् 1971 व 1975 व 1980 में अनसी के पति का नाम कानाराम दर्ज है। फिर अचानक अनसी हरजीराम की पत्नी कैसे हो सकती है जो कि एक विचारणीय प्रश्न है एवं जॉच का बिन्दू है। अतः इस प्रकार की कन्ट्रोवर्सी के आधार पर निष्पादित दस्तावेज को विधिक रूप से उचित नहीं ठहरा सकते। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

11. रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि हरजीराम व मृतक कानाराम के पुत्रों द्वारा शपथपत्र दिया जाना अंकित किया गया है, जबकि हरजीराम अभी भी जीवित है। फिर ऐसे शपथ पत्रों का औचित्य नहीं रह जाता है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो पारित अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं रही है और जो सच्चाई थी, उसी के आधार पर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय हाजा को गुमराह करने के लिये मतदाता वोटर लिस्ट से भ्रमित करने वाले दस्तावेज बताकर इतिश्री करना यह साबित करता है कि अपीलान्ट पाक व साफ हाथों से नहीं आया है। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय पर अनर्गल आरोप लगाकर अपीलाधीन आदेश को गलत साबित करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि किसी भी प्रकरण में अगर उसके निस्तारण के लिये दस्तावेज एवं पत्रावली के अलावा ऐसे साक्ष्य जिसे प्रकरण के निस्तारण पर प्रभाव पड़ता हो तो ऐसी साक्ष्य को पढा व ग्राहय माना जायेगा।

12. इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस यह भी कहा गया कि रेस्पोडेन्ट राजेन्द्र चौधरी की ओर से उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष एक राजस्व आवेदन संख्या 351/2024 राजेन्द्र चौधरी बनाम हरजीराम उर्फ तथाकथित कानाराम वगैराह अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया हुआ है जिसमें उपरोक्त न्यायालय के द्वारा ख0सं0 113 व ख0सं0 204/114 भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिनांक 02.12.2024 को पारित किये हुए है जिसकी प्रति अवलोकनार्थ पेश है। अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2024 को यथावत रखा जावें। रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने कथनों के

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

समर्थन में जवाब के साथ एवं फॉर्म नं. 3 के साथ दस्तावेजों की फोटो प्रतियां इत्यादि पेश किये गये जिनका बगौर अवलोकन किया गया।

13. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दिनांक 19.11.2024 को पेश करते हुए कथन किया गया कि ग्राम सांभरा तहसील पचपदरा में स्थित ख0सं0 113 रकबा 2.9947 हैक्टर कृषि भूमि के कानाराम पुत्र गंगाराम चौधरी खातेदार है जिनके द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में बक्शीशनामा दिनांक 23.8.2024 को निष्पादित किया गया है जो पंजीकृत करवाया हुआ है। अतः उक्त बख्शीशनामें के अनुसार अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावें। उक्त प्रार्थना पेश होने पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई। उसी दिनांक 19.11.2024 को रेस्पोडेन्ट की ओर से नामान्तरकरण दर्ज नहीं हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में धारा 135(2) राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए उभय पक्षकारान की सुनवाई करने के उपरान्त अपीलान्ट के द्वारा पेश उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 19.11.2024 को यह अंकित करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2024 के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया कि उक्त बख्शीशनामा कानाराम के द्वारा निष्पादित नहीं किया जाकर हरजीराम के द्वारा कानाराम बनकर निष्पादित किया गया है। इसलिये अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण की अपील खारिज की जाती है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने यह कहते हुए विचाराधीन अपील पेश की है कि कानाराम आदिनांक जीवित है तथा न्यायालय के सामने उपस्थित हो सकता है। श्री कानाराम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी अपने पक्ष में निष्पादित विधिक दस्तावेज लेकर उपस्थित हुआ है। वर्ष 2009 में श्री हरजीराम का देहान्त हुआ है, ना कि श्री कानाराम का। उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने श्री कानाराम के द्वारा निष्पादित बख्शीशनामें को सही नहीं माना है।

14. रेस्पोडेन्ट की ओर से दौराने बहस यह कहा गया कि श्री कानाराम का देहान्त वर्ष 2009 में हो चुका है तथा उक्त कानाराम नाम का व्यक्ति कानाराम नहीं होकर हरजीराम है यानि उनका भाई है, जिसके द्वारा कानाराम बनकर उक्त भूमि का फर्जी बख्शीशनामा अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित किया गया है जिसे ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

15. इस अपील में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि उल्लेखित बख्शीशनामा जो कि पंजीकृत दस्तावेज है, तहसीलदार/भू अभिलेख अधिकारी को उसकी वैधता के सम्बन्ध में प्रश्न किया जाना था अथवा नहीं। प्रथमतः तो एक पंजीकृत दस्तावेज में दर्शाई गई इबारत के अनुसार बख्शीशनामा धारण करने वाले व्यक्ति के पक्ष में नामान्तरकरण की कार्यवाही की जानी चाहिये थी। द्वितीय कानाराम एवं हरजीराम के नाम से जारी हुए मृत्यु प्रमाण पत्रों की सत्यता/वैधानिकता की सम्बन्धित कार्यालय के मूल रिकार्ड को तलब किया जाकर जॉच पश्चात पुष्टि करवाई जानी चाहिये थी। उल्लेखित बख्शीशनामा के सम्बन्ध में कानाराम एवं हरजीराम के परिवार के सदस्यों एवं पक्ष व विपक्ष की ओर से पेश सभी गवाहों के

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बयान लिये जाने चाहिये। उल्लेखित बख्शीशनामा जो कि एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है, अगर एक पक्ष उक्त बख्शीशनामें को झूठा व अवैध मानता है तो उसे सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती देते हुए अनुतोष प्राप्त करने की चाराजोही करनी चाहिये थी। तहसीलदार को चाहिये था कि सभी तथ्यों की जॉच के पश्चात उल्लेखित बख्शीशनामें के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने की नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिये थी। इसके अतिरिक्त श्री कानाराम एवं श्री हरजीराम नाम के व्यक्तियों में से कौन व्यक्ति जीवित है तथा कौन मृतक है, की सत्यता सामने आने के उपरान्त ही उल्लेखित बख्शीशनामें के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जा सकती है।

16. वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष रेस्पोडेन्ट के द्वारा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत एक राजस्व आवेदन संख्या 351/2024 अनवान राजेन्द्र चौधरी बनाम हरजीराम उर्फ तथाकथित कानाराम वगैराह पेश किया हुआ है जिसमें न्यायालय के द्वारा ख0सं0 113 व ख0सं0 204/114 भूमि के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिनांक 02.12.2024 को पारित किये हुए है।

17. तहसीलदार, पाटोदी दोनों व्यक्तियों के विषय में जारी भिन्न–भिन्न मृत्यु प्रमाण पत्रों की सम्बन्धित कार्यालयों से मूल रिकार्ड मंगवाकर जॉच करें कि मृत्यु प्रमाण पत्रों की सत्यता क्या है। जहॉ तक रजिस्टर्ड बख्शीशनामें का प्रश्न है, उसके संदेहास्पद होने के विषय में आवश्यक कार्यवाही सिविल न्यायालय में की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तथाकथित रजिस्टर्ड बख्शीशनामें के विषय में अपीलाधीन निर्णय में हरजीराम द्वारा कानाराम बनकर उक्त बख्शीशनामा निष्पादित किया जाना अंकित किया है लेकिन उनके द्वारा इस विषय में रजिस्टर्ड बख्शीशनामें पर अंकित गवाहों के बयान/साक्ष्य आदि नहीं लिये गये है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों/दस्तावेजों एवं उपरोक्त समस्त ऑब्जर्वेशन्स इत्यादि पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार पाटोदी को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

18. अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, पाटोदी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2024 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, पाटोदी को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य सबूत/दस्तावेज पेश करने एवं पक्ष रखे जाने का विधिवत पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात तथा उपरोक्त समस्त ऑब्जर्वेशन्स को मध्यनजर रखते हुए पुनः नये सिरे से यथोचित निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 28 मई, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

फर्द अहकाम

अज अदालत संभागीय आयुक्त जोधपुर

भूपेन्द्र चौधरी पुत्र धमेन्द्र चौधरी बनाम राजेन्द्र चौधरी पुत्र धमेन्द्रसिंह

किस्म मुकदमा–राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू–राजस्व अधि0 1956 सं. 09/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.06.2025	पत्रावली अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 16.06.2025 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किये जाने पर पेश हुई। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2025 में अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि उपरोक्त अपील माननीय न्यायालय में तहसीलदार, पाटोदी के आदेश दिनांक 30.12.2024 के विरूद्ध पेश हुई। अपील की विषय वस्तु ग्राम वीर तेजाजी नगर, पटवार हल्का सांभरा में ख0सं0 113 रकबा 2.9947 हैक्टर भूमि स्थित है जो उस समय तहसील पाटोदी में आती थी परन्तु राज्य सरकार के आदेश से उक्त ग्राम वीर तेजाजी नगर, तहसील पाटोदी से तहसील पचपदरा में सम्मिलित कर दिया गया है। उक्त अपील में न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 28.5.2025 द्वारा प्रकरण तहसीलदार, पाटोदी को प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय के निर्णय के अन्तिम पद की तीसरी पंक्ति में तहसीलदार, पाटोदी के स्थान पर तहसीलदार पचपदरा स्थापित किया जावे ताकि प्रकरण की सुनवाई तहसीलदार, पचपदरा द्वारा की जा सके। अपने कथन के समर्थन में विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2079–2082 बाबत ख0सं0 113 की पेश की गई जिसके अनुसार ग्राम वीर तेजाजी नगर, पटवार हल्का सांभरा, तहसील पचपदरा में अंकित है। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2025 का तथा न्यायालय हाजा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2025 का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रश्नगत भूमि तहसील क्षेत्र पाटोदी के स्थान पर वर्तमान में तहसील, पचपदरा में सम्मिलित हो जाने को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय हाजा के उपरोक्त आदेश दिनांक 28.5.2025 के पैरा संख्या 18 में इस प्रकार से संशोधित किया जाता है कि ''प्रकरण तहसीलदार, पाटोदी को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, के स्थान पर ''प्रकरण तहसीलदार, पचपदरा को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है।''पढा जावे। शेष आदेश यथावत रहेगा। सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर